(का)र्यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

(वाद) पत्र संख्या :–111/2018
(RC)MS NO:- 2018/00180

दायर दिनांकः 03.08.2018

(पी)ठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. काली बाई पत्नी रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
2. हरिशंकर पुत्र रामस्वरुप जाति गुर्जर निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

–वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप आ0 प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम रजलावता तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
3. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
4. शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बडोदा शाखा नैनवॉ बून्दी जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53,88,188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

1. वादी के अभिभाषक श्री राजेन्द्र नागर एड़वोकेट
2. प्रतिवादी के अभिभाषक श्री हसन मियॉ एडवोकेट

निर्णय दिनांक 24.03.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रजलावता पटवार हल्का रजलावता तहसील नैंनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 292 के खसरा सं. 326 रकबा 03–08 बीघा, खसरा सं. 927 रकबा 00–03 बीघा, खसरा सं. 957 रकबा 00–07 बीघा, खसरा सं. 1614/156 रकबा 14–11 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 18–09 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम रजलावता पटवार हल्का रजलावता तहसील नैंनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 301 के खसरा सं. 145 रकबा 15–08 बीघा, खसरा सं. 168 रकबा 04–13 बीघा, खसरा सं. 318 रकबा 01–08 बीघा, खसरा सं. 325 रकबा 01–14 बीघा, खसरा सं. 378 रकबा 00–04 बीघा, खसरा सं. 911/1 रकबा 00–05 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 23–12 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है। जो प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन में प्राप्त हुई है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को अनावश्यक परेशान करता था। वादीगण को खर्चा भी नहीं देता था । समाज के मोतवीर व्यक्तियों व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के रिश्तेदारों ने मिलकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच भूमि का विभाजन कर दिया था। जिसके अनुसार वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण के हिस्से में आई थी तथा वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई थी। जिस पर विभाजन के समय से ही वादीगण अपने हिस्सेनुसार खेती काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] में दर्ज है तथा उक्त विभाजन प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति से नहीं होने तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:36:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ख्या 1 के मन में बदयान्ती आ गई और प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के हिस्से की भूमि को छीनने व वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबदस्ती कब्जा करने के लिए दिनांक 25.06.2018 से धमकियां देने लग गया और कहने लगा कि वादीगण के हिस्से की भूमि जो वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है पर कब्जा करके रहूंगा। वादीगण को किसी भी सुरत में खेती काश्त नहीं करने दूंगा। यह वाद का कारण है। अतः वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच हुए विभाजन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जाकर वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करवाये कि प्रतिवादी 1 वादी के शांति पूर्वक खेती काश्त में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करे, भूमि को खुर्द बुर्द नष्ट भ्रष्ट नही करे, वादी के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही ऐसा किसी अन्य करवाये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल नक्शा ट्रेश प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी गिरदावरी प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी प्रदर्श 3, नकल नक्शा ट्रेश प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी गिरदावरी प्रदर्श 5 आदि पेश किये।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। वाद के सम्बंध में प्रतिवादी संख्या 1 का इकबाली दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के अनुसार वादी का वाद पत्र विधि संवत रूप से स्वीकार फरमा दिया जावे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वाद–पत्र का अवलोकन किया, वाद पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब वाद पत्र का अवलोकन किया। वाद पत्र में बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम रजलावता पटवार हल्का रजलावता तहसील नैंनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 292 के खसरा सं. 326 रकबा 03–08 बीघा, खसरा सं. 927 रकबा 00–03 बीघा, खसरा सं. 957 रकबा 00–07 बीघा, खसरा सं. 1614/156 रकबा 14–11 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 18–09 बीघा कृषि भूमि पर वादीगण संख्या 1 व 2 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण को शांति पूर्वक खेती काश्त में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करे, भूमि को खुर्द बुर्द नष्ट भ्रष्ट नही करे, वादी के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही ऐसा किसी अन्य करवाये। डिक्री पर्चा जारी किया जाकर तहसीलदार नैनवां को नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:36:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner